[2008] 13 एस.सी.आर. 255

जोगिन्दर उर्फ जिंडी

बनाम

हरियाणा राज्य

(विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) सं. 6346/2008)

8 सितम्बर, 2008

(डॉ. अरिजीत पसायत तथा हरजीतसिंह बेदी, न्यायाधीपतिगण)

दण्ड प्रक्रिया संहता , 1973

धारा 438 *गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को जमानत- जमानतीय अपराधों के संबंध में पेश की गई अन्तर्गत धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता की याचिका यद्यपि यह मान भी लिया जाए कि कथित अपराध जमानतीय है- अभिरक्षा के दौरान पूछताछ आवश्यक मानने में उच्च न्यायालय का निर्धारण न्यायोचित नहीं था- यद्यपि यदि प्रार्थी समर्पण करें तथा नियमित जमानत याचिका आवेदन करें तो उस पर उच्च न्यायालय द्वारा किए गए अवलोकन से अप्रभावित हुए बिना विचार किया जायेगा।*

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारिताः विशेष अनुमति याचिका आपराधिक संख्या 6346/2008।

पंजाब व हरियाणा उच न्यायालय चंडीगढ़ के आपराधिक विविध याचिका संख्या एम-20367/2008 के अंतिम आदेश एवं निर्णय दिनांक 13-08-2008 से।

रणजीत कुमार, सुबोध कुमार पाठक, शशिरंजन, बी. पटनायक तथा धर्मेन्द्र कुमार सिन्हा अपीलार्थी की ओर से ।

निम्नलिखित आदेश दिया गयाः-

प्रार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को सुना गया।

चूंकि याचिकाकर्ता का यह कथन रहा है कि आरोपित अपराध जमानतीय है तो हिरासत में की गई पूछताछ के आवश्यक होने के उच्च न्यायालय के निर्धाण को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता गैर जमानतीय अपराधों से संबंधित है इसलिए जमानतीय अपराधों के संबंध में पेश की गई धरा 438 दंड प्रक्रिया संहिता की याचिका गलत धारित है, यद्यपि यह मान लिया जावे कि आरोपित अपराध जमानतीय है। हालांकि प्रार्थी यदि समर्पण करें तथा नियमित जमानत याचिका के लिए आवेदन करें तो उस पर उच्च न्यायालय द्वारा किये अवलोकन से अप्रभावित हुए बिना विचार किया जावेगा। विशेष अनुमति याचिका तदनुसार निस्तारित की जाती है।

आर.पी. विशिष्ट अनुमति याचिका निस्तारित।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से **अनुवादक न्यायिक अधिकारी योगिता पारीक (आर.जे.एस.)** द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।